मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ

परिपत्र संख्या-58 /2016 दिनांकःलखनऊःअक्टूबर 16 ,2016

सेवा में,

1-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
3-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश ।

रिट याचिका संख्या-12693(एम/बी)/2016 पूजा कनौजिया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया गया है कि परिवादी/पीड़ित की प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने पर पंजीकृत नहीं की गयी और उसे द0प्र0सं0 की धारा 156(3) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा और उसके प्रार्थना पत्र पर मा0 न्यायालय के आदेश से घटना के लगभग 6 माह पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी ।

2- उल्लेखनीय है कि संज्ञेय अपराधों के सम्बन्ध में दं0प्र0सं0 1973 की धारा 154 में प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलम्ब पंजीकृत किये जाने सम्बन्धी स्पष्ट आज्ञापक प्राविधान हैं । प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत होने के कारण अनेक महत्वपूर्ण साक्ष्य के विलुप्त/नष्ट होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है और इसका प्रतिकूल प्रभाव अभियोग के सफल अभियोजन पर पड़ना स्वाभाविक है । संज्ञेय अपराधों के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलम्ब पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय द्वारा कतिपय परिपत्र निर्गत किये गये हैं और इस सम्बन्ध में ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य के मामले में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था दी है जिससे आप सभी अवगत हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं इस मुख्यालय द्वारा निरन्तर परिपत्र निर्गत किये जाने के उपरान्त भी संज्ञेय अपराध के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न किये जाने पर माननीय न्यायालयों द्वारा गंभीर आपत्ति प्रकट की है।

3- अतः आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी थानाध्यक्षों/थाना प्रभारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित करदें कि वे संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में सूचना मिलने पर बिना किसी विलम्ब के प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करना सुनिश्चित करें । यदि भविष्य में ऐसे मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने में विलम्ब की सूचना प्राप्त होती है तो सम्बन्धित जनपद प्रभारी वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक के विरूद्ध भी कार्यवाही करने हेतु विवश होना पड़ेगा ।

16.10

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।